

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()फैम्पा/अग्रमुखसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/6815

दिनांक: 16/09/2022

बजट आवंटन आदेश— 53

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न मदों में सूची अनुसार वर्ष 2020-2021 के बकाया दायित्वों एवं वर्ष 2022-23 में आवंटित कार्यों का समर्पण रखीकार कर/आवंटन कर आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मदों में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

2406-04-103-01-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(01)- Compensatory Afforestation

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | A.P.O Item No. & Name | आवंटन आदेश | पूर्व में आवंटन | | समर्पण | | कुल बजट आवंटन | | (राशि रु. लाखों में) विशेष विवरण |
|----------|-----------------|--|------------|-----------------|---------|--------|----------|---------------|---------|--|
| | | | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | उ.व.सं. सिरोही | CA on allotted Non-Forest Land for Compensatory Afforestation (CA-NFL) i) New Advance Action | 9 | 14.85 | 8.01633 | -4.20 | -2.26725 | 10.65 | 5.74908 | उ.व.सं. जौधपुर के पत्रांक 6355 दिनांक 22.08.2022 |

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | APO Item (2022-23) | Activity | Budget Allotment | | Details |
|----------|-----------------------|--|----------|----------------------|----------------------------|---|
| | | | | Phy. Target (in Ha.) | Unit Rate 0.63773 (per ha) | |
| 1 | उप वन संरक्षक, बाडमेर | 1- CA on allotted Non-Forest Land for Compensatory Afforestation (CA-NFL) : ii) committed (1st year) | 1.517 | 1.517 | 0.96744 | उ.व.सं. बाडमेर के पत्रांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के क्रम में। |

A.P.O. Item No. 7 : Pending Liability of the year 2021-22 (NFL/DFL/ACA/PCA/Medicinal plants/100 plants

| S.N. O. | Name of division | APO item name of year 2020-21 | Target | | Achievement | | Pending Liability | | | Remarks |
|---------|-----------------------|---|----------|-----------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | Physical | Financial | Physical | Financial | Bills sent to Treasury but remain unpaid | Bills Prepared but not sent treasury | Allotment | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | उप वन संरक्षक, बाडमेर | 1- a) CA on Allotted Non forest land compensatory afforestation : i) new advance action | 1.517 | 0.73505 | 1.517 | 0.00000 | 0.00 | 0.73505 | 0.73505 | उ.व.सं. बाडमेर के पत्रांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के क्रम में। |

नोट:— उ.व.सं. बाडमेर के पत्र क्रमांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2021-22 में करवा लिया गया था परन्तु माह मार्च 2022 की एम.पी.आर. में नहीं दर्शाया गया था।

2406-04-789-05-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

789- Anusuchit Jatiyon ke Liye Vishisht Sanghatak Yojna

(05)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | A.P.O Item No. & Name | आवंटन आदेश | पूर्व में आवंटन | | समर्पण / बजट आवंटन | | कुल बजट आवंटन | | विशेष विवरण |
|----------|---|---|------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---|
| | | | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | |
| 1 | उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर | 19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas. | 46 | 750 | 25.12500 | -500 | -16.75000 | 250 | 8.37500 | मु.व.सं. एवं शेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पश्चात 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में |
| 2 | उ.व.सं. वन्य जीव कोटा | 19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas. | 46 | 1250 | 41.87500 | -750 | -25.12500 | 500 | 16.75000 | |
| 3 | उ.व.सं. एवं उ.क्ष.नि. (कोर) रामगढ़ विष्णुपुरी टाईगर रिजर्व वृद्धी | 19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas. | | 0 | 0.00000 | 1250 | 41.87500 | 1250 | 41.87500 | |

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlfie

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | A.P.O Item No. & Name | आवंटन आदेश | पूर्व में आवंटन | | समर्पण / बजट आवंटन | | कुल बजट आवंटन | | विशेष विवरण | |
|----------|------------------------------------|---|---|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|-----------------|---|
| | | | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | वित्तीय | | |
| 1 | उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर | 12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) | i) New Advance Action a) Anicut type III b) Anicut type II c) MPT 49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forestor | 13 | 200 | 97.98600 | -100 | -48.99300 | 100 | 48.99300 | मु.व.सं. एवं शेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पश्चात 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में |
| | | 27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wildlife Areas | | 17 | 1 | 6.50000 | -1 | -6.50000 | 0 | 0.00000 | |
| | | | | 17 | 1 | 3.75000 | -1 | -3.75000 | 0 | 0.00000 | |
| | | | | 17 | 2 | 1.40000 | -1 | -0.70000 | 1 | 0.70000 | |
| | | | forest guard chowkies | 44 | 1 | 0.50000 | -1 | -0.50000 | 0 | 0.00000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----|-----|----------|------|-----------|-----|-----------------|
| | | nakas & guard chowkies/ barracks)Buildling constructed under CAMPA | office cum residence | 44 | 2 | 2.00000 | -2 | -2.00000 | 0 | 0.00000 |
| | | 53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department | | 31 | 69 | 2.07000 | -24 | -0.72000 | 45 | 1.35000 |
| 2 | उ.व.सं. वन्य जीव कोटा | 12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) | i) New Advance Action | 13 | 200 | 97.98600 | -50 | -24.49650 | 150 | 73.48950 |
| | | 27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas | b) Anicut type II | 17 | 2 | 7.50000 | -1 | -3.75000 | 1 | 3.75000 |
| | | c) MPT | | 17 | 2 | 1.40000 | -1 | -0.70000 | 1 | 0.70000 |
| | | 45-Information and Communication Technology (ICT) : a) Procurement of Data Storage devices (Portable Hard Disk) and Power Backup equipment (for mobile) | | 18 | 0 | 0.35000 | 0 | -0.21000 | 0 | 0.14000 |
| | | 49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forester nakas & guard chowkies/ barracks)Buildling constructed under CAMPA | forest guard chowkies | 44 | 4 | 2.00000 | -3 | -1.50000 | 1 | 0.50000 |
| | | 22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars | All forest area | 15 | 200 | 4.70000 | -100 | -2.35000 | 100 | 2.35000 |
| | | 53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department | | 31 | 61 | 1.83000 | -26 | -0.78000 | 35 | 1.05000 |
| | | 23-Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment | | 39 | 0 | 2.00000 | 0 | -1.00000 | 0 | 1.00000 |
| | | 24-Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management | b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (If required) | 39 | 0 | 1.00000 | 0 | -0.50000 | 0 | 0.50000 |
| | | 12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) | i) New Advance Action | | 0 | 0.00000 | 150 | 73.48950 | 150 | 73.48950 |
| 3 | उ.व.सं. एवं उ.क्षेत्रि. (कोर) रामगढ़ विधारी टाईगर रिजर्व यूदी | 27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas | b) Anicut type II | | 0 | 0.00000 | 1 | 3.75000 | 1 | 3.75000 |
| | | c) MPT | | | 0 | 0.00000 | 1 | 0.70000 | 1 | 0.70000 |
| | | 45-Information and Communication Technology (ICT) : a) Procurement of Data Storage devices (Portable Hard Disk) and Power Backup equipment (for mobile) | | | 0 | 0.00000 | 0 | 0.21000 | 0 | 0.21000 |

मुवस्स एवं शेत्र निदेशक
मुकन्दरा हिल्स टाईगर
रिजर्व कोटा के पत्राक
2512 दिनांक 08.09.2022
के क्रम में

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|----------|---------|----------|---|
| | 22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars | All forest area | 0 | 0.00000 | 100 | 2.35000 | 100 | 2.35000 |
| | 53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department | | 0 | 0.00000 | 73 | 1.71550 | 73 | 1.71550 |
| | 23-Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment | | 0 | 0.00000 | 50 | 1.50000 | 50 | 1.50000 |
| | 24-Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management | b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (If required) | 0 | 0.00000 | 0 | 1.00000 | 0 | 1.00000 |
| | 49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forester nakanas & guard chowkies/barracks)Building constructed under CAMPA | forest guard chowkies | 0 | 0.00000 | 4 | 2.00000 | 4 | 2.00000 |
| | | office cum residence | 0 | 0.00000 | 2 | 2.00000 | 2 | 2.00000 |
| 4 | उ.व.सं. उदयपुर उत्तर 22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars | All forest area | 15 | 427 | 10.03450 | -73 | -1.71550 | 354 |
| | | | | | | | | 8.31900 |
| | | | | | | | | उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्राक 5177 दिनांक 28.07.2022 |

शर्तें :

- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुखसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकागण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवृत्ति बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्राक्षानों के अनुसार ही करें।
- आवृत्ति बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्राक्षानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवृत्ति बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवृत्ति के विळङ्घ यदि किसी राशि का उपयोग समय नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय अधिवित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवृत्ति बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- आवृत्ति राशि जिस उददेश्य/कार्य के लिए आवृत्ति की गई है उसी उददेश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार संस्करण स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउटिंग के आधार पर लीएपी द्वारा प्रवित प्रपत्रों में संचारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावें।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मार्शिक लेखा अपने नियक्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे सकलित कर भौतिक एवं विलीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- कैम्पा से आवृत्ति बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यालयी राज. लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्राक्षानों के ही तहत की जावें तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विनाग्रीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवं विभाग की प्रबलित प्रदृष्टि अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यालयों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना मिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

S. L. Mehta
(शिखा महेश)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

etc

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुखसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/ 6816-30

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक —जोधपुर/उदयपुर/वन्य जीव संवाई माधोपुर/मुव सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकद्दमा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक—सिरोही/बाडमेर/उदयपुर उत्तर/उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर/उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी/वन्य जीव कोटा।
नोट : उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा व वन्य जीव चम्बल के जिन क्षेत्रों का उक्त बजट आवंटन आदेश के अनुसार उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी को स्थानान्तरण किया गया है कि साईट व जी.पी.एस कॉर्डिनेट्स उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 सहा. सांखियकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने एवं उ.व.स. बाडमेर के एन.एफ.एल. (1.517 है) वर्ष 2021-22 के प्राप्त भौतिक लक्ष्यों में सम्मिलित करने एवं वर्ष 2022-23 में प्लाटिंग कार्य में सम्मिलित करने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(अभियेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर। ०१८